



2

अतः तहसीलदार राजाध हनुमानगढ़ के

चाफ्ट छवि विवरण सादर रिपोर्ट के आधार पर  
 तबका अपाकगी 1, 2 की तबका फाकगी की आकगी  
 सहकार व शर्तीनामा को मध्य जल रखते  
 हुये फाकगी का फाकगीना-पत्र तबका कल  
 अपाकगीगण 1, 2 की कृषि भूमि अथ 1855घ  
 के पंजा 122/294 (36) के अंक 10 अं 0-016  
 एक्टर भूमि गैर मुक्त क्षेत्र आता एवं अपाकगीगण  
 1, 2 को फाकगी के अथ 1855घ के पंजा 122/294  
 अंक 3 अं 0.008 एक्टर 9 अं 0.008 एक्टर कुल  
 0.016 एक्टर भूमि मुन्नापेड तहसीलदार के रिपोर्ट के  
 निम्न तालिका बजरी बकाया दिने जाने के आदेश  
 दिने जाते हैं। इसके आदेश, बकाया आदेश होने  
 पर नहीं की जाये। जालनाथ रत आदेश की  
 उहे तहसीलदार के फाकगी की जाये। पञ्जावली  
 फाकगी-शुभक हाथ दाखिल-एक्टर है।

उपरोक्त अधिकारी एवं पदेन  
 सहायक फाकगी  
 हनुमानगढ़ के तहसीलदार

उपरोक्त :- तहसीलदार राजाध हनुमानगढ़  
 को जालनाथ के विरुद्ध है।

उपरोक्त अधिकारी एवं पदेन  
 सहायक फाकगी  
 हनुमानगढ़ के तहसीलदार